

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: परि/स्था./6(3)/83/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान परिवहन सेवा के अन्तर्गत नियमित रूप से चयनित/स्थायी निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक/शीघ्र लिपिक की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में निम्न विवरण अनुसार प्रसारित की जा रही है।

वरिष्ठता सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो तो जारी करने की तिथि से 10 दिवस के अंदर-अंदर अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का संदर्भ अंकित करते हुए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर डाक/विभागीय ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा जारी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जावेगा। यह वरिष्ठता सूची विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित प्रचलित आदेश एवं लम्बित प्रकरणों के अध्यधीन होगी :-

निजी सचिव

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष	वर्ग	टिप्पणी
1.	श्री विजय कुमार मल्होत्रा	30.11.1970	2017-2018	अ.जा.	पदोन्नति

वरिष्ठ निजी सहायक

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष	वर्ग	टिप्पणी
1.	श्री शंकर लाल दुडिया	07.08.1970	2015-2016	अ.जा. विकलांग	पदोन्नति
2.	श्री बृजमोहन चूलेट	01.01.1972	2016-2017	सामान्य	पदोन्नति

निजी सहायक

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष	वर्ग	टिप्पणी
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शीघ्र लिपिक

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष	वर्ग	टिप्पणी
1.	श्री राजेन्द्र कुमार खत्री	18.10.1966	1991	सामान्य	सीधी भर्ती

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक: एफ.1(30)परि/स्था./91/7427-37

जयपुर, दिनांक: 10/4/18

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अपर परिवहन अधिकारी (प्रशा.)
3. अपर परिवहन आयुक्त (MRTA)/(प्रवर्तन)।
4. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, जोन।
6. समस्त संयुक्त परिवहन आयुक्त।
7. समस्त उपायुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
- ✓ 9. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
10. सम्बन्धित श्री / श्रीमती
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)